AC-II रामेश्वर बनाम जोधा

डायरी संख्या Ti-23/22 | टिप्पणी (क्रमिक) | जी. ई. एन. 19

1/7/22 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का दस्तावेज व मय मूलवाद अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तकासमा बाबत पेश किया गया। विवादित आराजीयात में प्रार्थी/वादी सह काश्तकार है। पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। जब तक पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर अलग पर्चा लगान व खाता कायम नहीं हो जाता तब तक विवादित आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उत्प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात खसरा नं० - 1896, 1910, 1911, 1912, 1918, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 1926 कुल किता 12 कुल रकबा 3.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम दहमीकलां पटवार हल्का दहमीकलां भू०अ०नि०क्षे० ढीकरिया तहसील सांगानेर स्थित मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति को मूलवाद के निस्तारण तक यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज [illegible] हो। नेहर से कम होकर [illegible] निर्णय आज दिनांक [illegible] जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:06:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner